चमन लाल महाविद्यालय

(अशासकीय सहायता प्राप्त संस्था)

लंढौरा जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

(श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी-गढ़वाल से सम्बद्ध)

विवरणिका

Prospectus

Mob. : 7456099119, 9719757846, 7017590322

E-mail : cldegree21@gmail.com

Website : www.cldcollege.com

हमारे प्रेरणा पुँज

कीर्तिशेष पंडित चमन लाल शर्मा

महाविद्यालय की गतिविधियां

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष में भाषण प्रतियोगिता

Prospectus

CHAMAN LAL MAHAVIDYALYA

Landhaura Distt. Haridwar (Uttarakhand) - 247664
(Affiliated to Shri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidyalya, Badshaithol, Tehri - Garhwal)
Mob. : 7456099119, 9719757846, 7017590322
E-mail : cldegree21@gmail.com, Website : www.cldcollege.com

Priti Printing Press#9837488581

विवरणिका

2023-2024

CHAMAN LAL MAHAVIDYALAYA
Landhaura, Haridwar (UK)
तमसो मा ज्योतिर्गमय

चमन लाल महाविद्यालय

लंढौरा, जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

सम्बद्ध – श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाही थौल, टिहरी (गढ़वाल) उत्तराखण्ड – 249149
एवं उत्तराखण्ड संस्कृत महाविद्यालय, हरिद्वार

पंडित ईश्वर चन्द शर्मा (महाविद्यालय के संस्थापक)

श्री अरुण कुमार हरित

(सचिव, प्रबन्ध समिति)

श्री अतुल हरित

(कोषाध्यक्ष, प्रबन्ध समिति)

राम कुमार शर्मा
(अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति)

किसी समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। सही शिक्षा एवं सच्चे संस्कार ही युवाओं को अपने राष्ट्र एवं समाज के लिए दृढ़ता से खड़ा होने का बल प्रदान करती है। शिक्षा प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति अपनी परम ऊँचाइयों को नहीं छू सकता। शिक्षा का सीधा संबंध मनुष्य के मस्तिष्क एवं आत्मा दोनों से है। अर्थात् शिक्षा हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों के साथ जुड़ी हैं। इस विचार को आत्मसात करते हुए विद्यार्थियों के चारित्रिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास पर बल देता है। महाविद्यालय का उद्देश्य एवं सतत् प्रयास है कि हम ऐसे चरित्रवान नागरिक तैयार करें, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपने दायित्व का निर्वहन कर राष्ट्र की उन्नति में सहायक हो सकें।

ग्रामीण परिवेश में स्थापित यह महाविद्यालय युवाओं का चतुर्दिक विकास करेगा, इस आशा के साथ सभी अभिभावकों एवं छात्र–छात्राओं से राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। हम सभी कीर्तिशेष पं. चमन लाल शर्मा जी के जीवन–आदर्शों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस अखण्ड यात्रा के सभी सहयोगी शुभचिन्तकों, प्रबंध समिति के समस्त पदाधिकारी गण, प्राचार्य, शिक्षकवृंद एवं कर्मचारी सुदूर लक्ष्यों के लिए कार्य करेंगे, ऐसी कामना है।

नवागत प्रवेशार्थियों के लिए शुभकामनाओं सहित।

महाविद्यालय प्रबन्ध समिति

श्री राम कुमार शर्मा	अध्यक्ष
पं० ईश्वर चन्द शर्मा	उपाध्यक्ष
श्री अरुण कुमार हरित	सचिव
श्रीमती अर्चना शर्मा	उप सचिव
श्री अतुल हरित	कोषाध्यक्ष
	-
डॉ. विमल कान्त	शिक्षक प्रतिनिधि, सदस्य
डॉ. संजीव कुमार	शिक्षक प्रतिनिधि, सदस्य
श्री दीपक चौधरी	गैर शिक्षक प्रतिनिधि, सदस्य

संक्षिप्त परिचय

समाज के हित में सर्वस्व अर्पण करने की प्रेरणा से भगवानपुर चन्दनपुर निवासी पं. ईश्वर चन्द्र शर्मा जी ने लण्ढौरा क्षेत्र के ग्रामीण आंचल में रहने वाले छात्र –छात्राओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए चमन लाल एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना की। श्री राम कुमार शर्मा जी ने शिक्षा की असाधारण महत्ता को पहचान कर चमन लाल महाविद्यालय लण्ढौरा (हरिद्वार) के रूप में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित महाविद्यालय की स्थापना कर इस क्षेत्र की जनता के लिये उच्च शिक्षा के दरवाजे खोल दिये। इसी क्रम में महाविद्यालय ने सत्र 2022–23 में नैक मूल्यांकन में B^+ ग्रेड प्राप्त किया है।

चमन लाल महाविद्यालय लण्ढौरा (हरिद्वार) श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाही थौल, टिहरी गढवाल, उत्तराखण्ड एवं उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार से सम्बद्धता प्राप्त है एवं विश्वविद्यालय सम्बद्धता क्रम में प्रथम है। महाविद्यालय में बी.ए.,हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति– विज्ञान, इतिहास, चित्रकला, गृह विज्ञान, भूगोल तथा बी.एससी. (गृह विज्ञान) बी.एससी. भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कम्प्यूटर साइंस, बी.कॉम. (सी.एफ.ए/नॉन.सी.एफ.ए.) बी.एससी. (कृषि), बी.कॉम. (ऑनर्स), बी.लिब. एवं लगभग 20 विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड बादशाही थौल द्वारा सम्बद्ध एवं संचालित हैं तथा एम.ए. (पत्रकारिता), पी.जी. डिप्लोमा (योग) की कक्षाएं उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार से सम्बद्ध एवं संचालित की जा रही हैं। छात्रों के व्यक्तित्व विकास को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण सत्र शिक्षण के साथ–साथ संगोष्ठी, परियोजना कार्य, क्षेत्र आधारित गतिविधियां, विशिष्ट व्याख्यान, स्मृति व्याख्यान एवं कार्यशालाएँ नियमित रूप से आयोजित किये जाते हैं।

आइये, सफलता में भागीदार बनें

पहला प्रश्न यही है कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं और इस समाज के निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी। इस प्रश्न का आसान उत्तर ये है कि समग्र, समावेशी और मूल्यों से परिपूरित शिक्षा से यही अच्छा समाज बनेगा और इसके निर्माण की प्रक्रिया को शिक्षा ही अपने कंधों पर लेकर चलेगी।

शिक्षा केवल सूचनाओं का संग्रहण नहीं है। शिक्षा साक्षरता का पर्याय मात्र भी नहीं, शिक्षा केवल उपाधियों–पदवियों का विवरण अथवा एकीकरण नहीं, अपितु वह कर्म कुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि का पर्याय है, वह करणीय–अकरणीय का बोध है, चरित्र बल का सोपान है तथा जीवन जीने की कला का ज्ञान है।

सतत् परिवर्तनशील समय में शिक्षा प्राप्ति के साधनों एवं प्रक्रियाओं में व्यापक परिवर्तन आए हैं। विगत दो वर्षों में कोरोना महामारी के प्रभाव ने शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया, व्यवस्था और साधनों में अमूल–चूल परिवर्तन किया है। इस तबाही में पूर्ववर्ती मंथरगति परिवर्तन को अत्यधिक तीव्रता के साथ परिवर्तित किया। उल्लेखनीय है कि पं. ईश्वर चंद शर्मा और उनके सुपुत्र–द्वय श्री राम कुमार शर्मा एवं श्री अरुण हरित के सत्प्रयासों से चमन लाल महाविद्यालय की स्थापना हुई। विगत वर्षो में महाविद्यालय ने संख्यात्मक एवं गुणात्मक, दोनों दृष्टियों से उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। यह गौरव का विषय है कि इस वर्ष महाविद्यालय के तीन छात्रों ने UGC-NET में सफलता प्राप्त की और तीन छात्र–छात्राएँ यूनिवर्सिटी टॉपर बने।

उत्कृष्ट पढ़ाई, उत्कृष्ट परिणाम और समग्र व्यक्तित्व निर्माण के लक्ष्य के साथ महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और सहयोगी स्टाफ निरंतर प्रयासरत है। हम सभी शिक्षा के माध्यम से जीवन निर्माण के इस अभियान में छात्र–छात्राओं और उनके अभिभावकों की सहभागिता का आह्वान करते हैं कि इस सतत् यात्रा का हिस्सा बनिये।

"भवतु सब्ब मंगलम्।"

डॉ. दीपा अग्रवाल

कार्यवाहक प्राचार्या

Vision

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं का सर्वांगीण विकास करना तथा उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान (केन्द्र) के रूप में विकसित होना।

Mission

- छात्र–छात्राओं के बौद्धिक, शारीरिक एवं नैतिक विकास हेतु बाधा रहित समग्र शैक्षिक माहौल का निर्माण करना।
- राष्ट्र के सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप शिक्षण–प्रशिक्षण के नियोजित करना/उक्त के अनुरूप शैक्षिक एवं शिक्षण सत्र गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- कैरियर उन्मुख कार्यक्रमों और आयोजनों के माध्यम से लड़कियों की दक्षता और भविष्यपरक कौशलों में सुधार करके उन्हें सशक्त बनाना।
- तीव्र प्रौद्योगिकी/तकनीकी विकास के दृष्टिगत ई–लर्निंग को बढ़ावा देते हुए तत्सम्बंधी में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना।
- विषयों के दार्शनिक–सैद्धान्तिक पक्ष के साथ व्यावसायिक एवं जीवन प्रयत्न कौशलों की प्राप्ति हेतु परिस्थितियों का निर्माण करना।
- लैंगिक समानता, धार्मिक–सांस्कृतिक एकीकरण, विविधता के संवर्धन के दृष्टिगत सभी वर्गों के छात्र–छात्राओं को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना।

महाविद्यालय का गौरव

1.	विपिन कुमार	2016–17	B.Sc.
2.	तकसीर जहरा	2017–19	B.Com. (वि.वि. से गोल्ड मैडल प्राप्त)
3.	शहराज बानो	2016–17	Gold Medalist (SDSLI)
4.	आरूषी	2019	NET (Yoga)
5.	निशा राठी	2021	GATE (Chemistry)
6.	विशाखा चौधरी	2021	Animal Husbandary
7.	विजय प्रकाश	2021–22	NET (Geography)
8.	शिवांक शर्मा	2020–21	UGC-NET (History)
9.	शिव अवतार कुलदीप	2019–22	Gold Medalist (M. Lib.)
10.	गरिमा पंत	2020–21	Gold Medalist (M. Lib.)
11.	सलोनी	2019–20	Gold Medalist (M.A. Hindi)
12.	धर्मवीर शर्मा	2020–21	NET/JRF (Yoga)
13.	अंकित कुमार	2022–23	GATE (Botany)
14.	मौ. साकिब	2020–21	JAM

वार्षिक कैलेंडर सत्र 2023-24

विवरणिका एवं आवेदन पत्र वितरण प्रारम्भ की तिथि – 01 जून, 2023

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश

- **आवेदन पत्र एवं प्रवेश शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि :**
- प्रथम सेमेस्टर (स्नातक एवं स्नातकोत्तर) — 16 अगस्त, 2023
- अन्य विषय एवं सम सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षा पद्धति पर आधारित पाठ्यक्रम — अर्हता परीक्षा अंक पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिन तक।
- **शिक्षण कार्य आरम्भ की तिथि :**
- प्रथम सेमेस्टर (स्नातक एवं स्नातकोत्तर) — 17 अगस्त, 2023
- अन्य विषय एवं सम सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षा पद्धति पर आधारित पाठ्यक्रम — 1 सितम्बर 2023

सम सेमेस्टर (स्नातक एवं स्नातकोत्तर) — 21 जनवरी, 2024

आंतरिक परीक्षाएं :

विषम सेमेस्टर (स्नातक एवं स्नातकोत्तर) — 6 नवम्बर-11 नवम्बर 2023

सम सेमेस्टर (स्नातक एवं स्नातकोत्तर) — 15 अक्टूबर-20 अक्टूबर 2024

गणित सप्ताह–वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिताएं — 24 फरवरी, 2024

वार्षिक सांस्कृतिक समारोह एवं पुरस्कार वितरण — 26 फरवरी,– 02 मार्च, 2024

पुरातन छात्र सम्मेलन — मार्च, 2024

एन०एस०एस० वार्षिक शिविर — मार्च, 2024

महत्वपूर्ण दिवस :–

स्वतन्त्रता दिवस	15 अगस्त 2023
महाविद्यालय स्थापना दिवस	01 सितम्बर 2023
गाँधी जयंती	02 अक्टूबर 2023
राज्य स्थापना दिवस	09 नवम्बर 2023
गणतन्त्र दिवस	26 जनवरी 2024

मुख्य अवकाश :–

दशहरा अवकाश	23 अक्टूबर –25 अक्टूबर, 2023
दीपावली अवकाश	13 नवम्बर – 18 नवम्बर, 2023
शीतकालीन अवकाश	01 जनवरी – 20 जनवरी, 2024
होली अवकाश	25 मार्च – 27 मार्च, 2024
ग्रीष्मकालीन अवकाश	01 जून – 30 जून, 2024

नोटः उपरोक्त सभी तिथियाँ विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथियों के अधीन परिवर्तनीय होंगी।

आचार-संहिता

छात्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा दो या अधिक छात्रों अथवा समूह में कृत निम्नलिखित गतिविधियाँ अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार समझा जायेगा।

1. परिसर में किसी शिक्षक, कर्मचारी, छात्र आगन्तुक पर शारीरिक प्रहार, शारीरिक बल प्रयोग की धमकी या अन्य धमकाने वाला व्यवहार।
2. किसी भी रूप में शिक्षण एवं अन्य शैक्षिक कार्यों, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं के कार्यकलापों, प्रवेश एवं परीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार से बाधा पहुँचाना।
3. उत्तरदायी अधिकारी की अनुमति के बिना महाविद्यालय परिसर में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग।
4. महाविद्यालय द्वारा अपने परिसर में या अन्य आयोजित किसी शैक्षिक परिभ्रमण अथवा शिक्षण, शिक्षणोत्तर अथवा साहित्यिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य समकक्ष कार्यक्रम में अनुचित व्यवहार।
5. उपखण्ड चार में उल्लिखित किसी कार्यक्रम के रैफरियों, एम्पायरों या निर्णायकों के निर्णय का अनुपालन न करना अथवा विरोध करना।
6. महाविद्यालय की व्यवस्था के किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने वाले कृत्य व वक्तव्य अथवा किसी साहित्य या दस्तावेज जिनमें पत्रावलियां, पैम्फलेट, पोस्टर, प्रेस अधिसूचनाएं आदि सम्मिलित हैं का प्रदर्शन एवं वितरण।
7. आपत्तिजनक वस्तुओं एवं पदार्थों का रखना एवं वितरण करना।
8. ऐसा कोई कृत्य जो व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह के मध्य मनमुटाव अथवा धार्मिक, सामाजिक, क्षेत्रीय अथवा भाषीय आधार पर असहिष्णुता उत्पन्न करता हो अथवा उसका कारण बन सकता हो।
9. कोई कृत्य जो महाविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों अथवा उपनियमों अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों की अवहेलना करता हो।
10. किसी शस्त्र के रखने प्रदर्शन करने अथवा उससे धमकाने।
11. कोई कृत्य जो अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता को प्रभावित करता हो अथवा अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता हो अथवा शारीरिक हिंसा करता हो अथवा अभद्र भाषा प्रयोग हो।
12. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 की अवहेलना।
13. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित छात्रों की प्रतिष्ठा अथवा सम्मान की कोई अवहेलना।
14. महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार अथवा यौन उत्पीड़न सम्बंधी कोई मौखिक अथवा अन्य कृत्य या व्यवहार।
15. किसी भी रूप में रिश्वत देने का कोई प्रयास अथवा अन्य कोई भ्रष्ट आचरण।
16. कोई ऐसा कृत्य जो महाविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचाता हो अथवा उसे नष्ट करता हो अथवा उसके मूल रूप को भ्रष्ट करता हो।
17. अनधिकृत रूप से पैसा एकत्र करना।
18. मदिरा अथवा अन्य मादक द्रव्य रखने, वितरित करने अथवा सेवन करने या सेवन करने के उपरान्त महाविद्यालय में प्रविष्ट होना।
19. नैतिक अधमता सदृश्य कोई कृत्य।
20. कोई अन्य कृत्य जो महाविद्यालय अथवा महाविद्यालय व्यवस्था के किसी इकाई के अधिकारियों अथवा कार्य करने के अभिमत में एक छात्र के रूप में अनुचित हो।
21. रैगिंग करने संबंधी अथवा उसमें लिप्त होने संबंधी कोई कृत्य।

आवश्यक निर्देश

प्रवेशार्थी प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र भरने से पूर्व महाविद्यालय विवरणिका में दिये गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा उनका अनुपालन करें।

1. महाविद्यालय में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। कोई भी महिला कार्मिक अथवा छात्रा किसी भी अभद्र व्यवहार के मामले में प्रकोष्ठ से सहायता प्राप्त कर सकती है। यदि शिकायतकर्ता चाहे तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जायेगी।
2. महाविद्यालय में एण्टी रैगिंग कमेटी का गठन किया गया है, यदि कोई रैगिंग करता पकड़ा गया तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3. महाविद्यालय परिसर में अस्त्र–शस्त्र लाना प्रतिबंधित है। यह कानूनी अपराध भी है।
4. शासन एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी छात्र/छात्रा की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में छात्र/छात्रा को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का होगा।
5. विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्राचार्य द्वारा प्रवेश समिति अथवा अनुशासन समिति की संस्तुति पर किसी छात्र/छात्रा का प्रवेश बिना कारण बताये निरस्त कर सकते है या प्रवेश देने हेतु मना कर सकते है।
6. कोई भी छात्र/छात्रा महाविद्यालय में किसी भी कार्य के लिए क्यों न आया हो, महाविद्यालय वेशभूषा में आना अनिवार्य है।
7. महाविद्यालय की किसी भी सामग्री जैसे पुस्तक, प्रयोगशाला की सामग्री, कम्प्यूटर, फर्नीचर आदि को हानि पहुंचाने पर अर्थदण्ड सम्भव है। कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
8. महाविद्यालय में किसी भी प्रकार का धूम्रपान एवं पान मसाला निषेध है इनका सेवन करते पाये जाने पर अर्थदण्ड वसूला जा सकता है संबंधित के विरूद्ध निष्कासन की कार्रवाई भी संभव है।
9. महाविद्यालय में अपने वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें अन्यथा की स्थिति में वाहन की सुरक्षा महाविद्यालय की नहीं होगी।
10. परीक्षा, खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के समय तात्कालिक नियम बनाये जाते है, उनका अनुपालन अनिवार्य है।
11. कोई भी छात्र/छात्रा किसी दूसरे छात्र/छात्रा पर धर्म जाति संबंधी टीका टिप्पणी न करें। ऐसा करना कानूनी अपराध हो सकता है।
12. सभी छात्र–छात्राएं महाविद्यालय से प्राप्त परिचय पत्र अपने साथ रखें। यह कभी भी मांगा जा सकता है।
13. पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने हेतु छात्र–छात्राओं के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किये गये है। निर्धारित दिन में अपनी पुस्तकें निर्गत आगत करवायें। पुस्तकें निर्धारित अवधि में जमा कराया जाना अनिवार्य है।
14. छात्र–छात्राएँ अपनी कक्षा समाप्त हो जाने के उपरान्त इधर–उधर न घूमें।

15. छात्राओं के लिए भवन की पूर्वी सीढ़ियों एवं छात्रों के लिए पश्चिमी सीढ़ियों को निर्धारित किया गया है। निर्धारित सीढ़ियों का ही प्रयोग किया जाये।

16. प्रबंध समिति एवं प्राचार्य कक्ष में प्रवेश करते समय अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लें।

17. शिक्षकों एवं कार्मिको के प्रति छात्र–छात्राओं का व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए। अभद्र व्यवहार की स्थिति में तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

18. किसी भी प्रकार का धन जो आपने महाविद्यालय में जमा किया है, उसकी रसीद तुरन्त अवश्य प्राप्त कर लें।

19. महाविद्यालय में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है।

20. निर्धारित कार्मिक के अलावा किसी भी व्यक्ति को शुल्क आदि न दें। महाविद्यालय की ओर से शुल्क आदि प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया गया है।

21. किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र लेकर सीधे प्रबंध समिति/प्राचार्य कक्ष में प्रवेश न करें। संबंधित शिक्षक/कार्यालय के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाए।

22. सभी छात्र एवं पुरूष कार्मिक छात्राओं एवं महिला कार्मिकों के साथ व्यवहार में मर्यादा का पालन करेंगे। अमर्यादित व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा।

23. प्रवेश के समय दिया गया शुल्क प्रवेश स्वैच्छिक निरस्त कराने या महाविद्यालय द्वारा किसी कारण से निरस्त करने के बाद वापिस नहीं होगा।

24. प्रवेश की तिथि से 30 दिन पश्चात शुल्क वापसी के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

अभिभावकों के लिए

यदि आपका पुत्र/पुत्री किसी शारीरिक अथवा मानसिक बीमारी से पीड़ित है तो महाविद्यालय में प्रवेश के समय संबंधित जानकारी अवश्य उपलब्ध कराएं ताकि किसी आकस्मिक/गंभीर स्थिति में चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके।

एण्टी रैगिंग

महाविद्यालय ने रैगिंग की समस्या के नियन्त्रण हेतु मा. सुप्रीम कोर्ट एवं यू. जी. सी. के नियमों को सख्ती से लागू किया गया है। रैगिंग में पकड़े जाने पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है –

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा से निलम्बन।
3. छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभ रोके रखना अथवा निरस्त करना।
4. किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना।
5. किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अथवा युवा महोत्सव संस्था का प्रतिनिधित्व करने से रोकना।
6. संस्थान से निष्कासन एवं तदोपरान्त अन्य किसी संस्था में प्रवेश से वंचित किया जाना।
7. रू. 25 हजार तक का जुर्माना।
8. जब रैगिंग का अपराध करने वाले व्यक्तियों को न पहचाना जाये तब सम्भावित रैगिंग कर्ताओं पर सामुदायिक दबाव बनाने हेतु संस्था सामूहिक दण्ड का प्रयोग करेगी।

नोटः छात्र/छात्रा एण्टी रैगिंग का फार्म भरकर आवेदन पत्र के साथ अवश्य जमा करा दें। एण्टी रैगिंग फार्म हेतु नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें।

https://antiragging.in
National antiragging Helpline (UGC crisis hotline)
Toll free Number 1800-180-5522
(helpline@antiragging.in)

शपथ पत्र का प्रारूप

(छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं ऑनलाइन भरा जायेगा)

1. मैं ..... पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती ..... ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया है तथा पूर्णतः समझ लिया है।

2. मैंने उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान, आयोग विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान में पढ़ लिया है।

3. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता /करती हूँ–

☐ मैं ऐसे किसी कृत्य व्यवहार में सम्मिलित नहीं होऊंगा/होऊंगी जो रैगिंग की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो।

☐ मैं किसी भी रूप में रैगिंग में लिप्त नहीं होऊंगा/होऊंगी तथा उसको प्रोत्साहित अथवा प्रचारित नहीं करूंगा/करूंगी।

☐ मैं किसी को भी शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करूंगा/करूंगी अथवा अन्य कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा/पहुंचाऊंगी।

हस्ताक्षर ..... दिन ..... माह ..... वर्ष .....

नाम व पता
हस्ताक्षर ओथ कमिश्नर

पाठ्येत्तर विकासोन्मुखी गतिविधियाँ

पुस्तकालय

महाविद्यालय में लगभग 11000 पुस्तकों का समृद्ध पुस्तकालय उपलब्ध है जो कि प्रातः 09:00 से सायं 04:00 बजे तक खुला रहता है। पुस्तकालय में हिन्दी, अंग्रेजी के सभी प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती है। अनुशासन के दृष्टिकोण से पुस्तकालय में छात्र–छात्राओं के लिये अलग–अलग वाचनालय (रीडिंग रूम) की व्यवस्था की गई है। सभी छात्र–छात्राएं इस व्यवस्था का पालन करेंगे।

1. पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने के लिए छात्र–छात्राओं को पुस्तकालय कार्ड बनवाना आवश्यक है।
2. पुस्तकालय कार्ड प्राप्त करने के लिए प्रवेश प्राप्ति की रसीद तथा परिचय–पत्र पुस्तकालयाध्यक्ष / पुस्तकालय प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।
3. प्रत्येक छात्र–छात्रा एक समय में प्राप्त पुस्तक अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। तत्पश्चात् 5/– रूपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना देना होगा। यदि पुस्तक वापसी के दिन अवकाश हो तो आगामी दिवस को निर्धारित वापसी का दिवस माना जायेगा।
4. पुस्तकालय संदर्भ ग्रंथ, पत्र–पत्रिकाओं एवं समाचार–पत्रों को पुस्तकालय से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है।
5. पुस्तक खो जाने, फट जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में पुस्तकालयाध्यक्ष की संस्तुति पर प्राचार्य की अनुमति लेकर पुस्तक की नई प्रति अथवा उसकी वर्तमान कीमत डाक व्यय सहित जमा करनी होगी।
6. वापस की गयी पुस्तक उसी दिन वितरित नहीं की जायेगी।
7. परीक्षा प्रवेश पत्र लेने से पूर्व सभी पुस्तकें वापस कर पुस्तकालयाध्यक्ष से अदेय (नो–डॅयूज) प्रमाण–पत्र लेना होगा।
8. पुस्तकालय सम्बन्धी किसी भी मामले में पुस्तकालयाध्यक्ष तथा प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।

प्रयोगशाला

महाविद्यालय में प्रयोगात्मक कार्य के लिए सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित सभी विषयों की प्रयोगशालाएं हैं। जहां पर विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक कार्य करने की सम्पूर्ण सुविधा प्राप्त है। प्रयोग करते समय छात्र–छात्राओं को उपकरणों तथा अन्य सामान का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। समयानुसार प्रयोगशाला सहायक तथा तत्सम्बन्धी प्राध्यापक से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लापरवाही से किये गये कार्य या प्राध्यापक की अनुमति के बिना प्रयोगशाला में प्रवेश दण्डनीय होगा। रासायनिक प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रत्येक छात्र–छात्रा को गैस लैम्प

की सुविधा उपलब्ध है। प्रयोगशाला उपकरणों की हानि के लिए उत्तरदायी छात्र–छात्रा से उपकरण के मूल्य के समान धनराशि वसूल की जाएगी।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.)

महाविद्यालय में ओपन केटेगरी में लड़के एवं लड़कियों के लिए एन.सी.सी. की यूनिटे उपलब्ध हैं। योग्यता के आधार पर छात्र – छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

महाविद्यालय में एन.एस.एस. की दो इकाई संचालित हैं। छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास में एन.एस.एस. महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिन–रात का कैम्प करना अनिवार्य होगा।

रोवर्स/रेंजर्स

महाविद्यालय में हिन्दुस्तान स्काउट/गाइड के अन्तर्गत महाविद्यालय को रोवर्स/रेंजर्स की दो यूनिट की मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2020–2021 में पाँच दिवसीय (निपुण/प्रवीण) शिविर का आयोजन भी किया गया।

अनुशासन-समिति

महाविद्यालय में अनुशासन बनाएं रखने, विद्यार्थियों को आवश्यक दिशा–निर्देश देने अभिभावकों/संरक्षकों के साथ आवश्यक तालमेल की दृष्टि से अनुशासन–समिति अनुशासनात्मक गतिविधियों का संचालन करती है। समस्त विद्यार्थियों के परिचय–पत्र प्रभारी, अनुशासन समिति द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए तथा छात्र–छात्रायें परिचय–पत्र तैयार कर प्रॉक्टोरियल बोर्ड से पूरा कराकर हमेशा अपने साथ रखें।

एण्टी रैगिंग सेल

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतया प्रतिबन्धित है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में रैगिंग की गतिविधियों पर निगरानी एवं रोक लगाने हेतु एन्टी रैगिंग स्कवॉड का गठन किया गया है। प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र–छात्रा वं अभिभावक/संरक्षक द्वारा अलग–अलग दस रूपये के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में प्रत्येक श्रेणी अर्थात् छात्राओं के रूप में तथा कर्मचारी के रूप में महिलायें कार्यरत है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों अनुपालन में महाविद्यालय में स्वस्थ परिवेश के निर्माण हेतु तथा महिला उत्पीड़न निवारण समिति गठित है। जिसका प्रयत्न ऐसे वातावरण का निर्माण करना है, जिसमें प्रत्येक शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी पूर्ण रूप से

मानसिक तनाव से मुक्त होकर अपना कार्य कर सकें। महाविद्यालय परिसर में अन्य किसी को भी उत्पीड़न महसूस हो तो वह इस समिति को सूचित कर सकता/सकती है।

खेल-कूद समिति

छात्र–छात्राओं के नैतिक तथा बौद्धिक विकास के लिए खेल–कूद आवश्यक है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कॉलेज में खेल–कूद संचालित करने के लिए एक समिति गठित की गई है जो खेलकूद सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरा कराती है। हर प्रकार के खेल का अभ्यास व संचालन खेल समिति के माध्यम से वर्ष भर होता है। कुशल खिलाड़ियों को प्रमाण–पत्र तथा पारितोषिक दिए जाते हैं।

सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति

छात्र–छात्राओं के नैतिक तथा बौद्धिक विकास के लिए वाद–विवाद, निबन्ध प्रतियोगिता, कविता तथा काव्य पाठ आदि में सभी को समान अवसर प्रदान किये जाते हैं। समिति छात्र/छात्राओं की आन्तरिक प्रतिभाओं को उभारने के लिए कृत संकल्प है। छात्र–छात्राओं को प्रतिभा प्रदर्शन एवं छात्र/छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिए यथासम्भव सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

शिक्षक अभिभावक संघ

महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं के बहुमुखी विकास हेतु छात्र–छात्राओं के अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए एक संघ का गठन किया गया है ताकि छात्र–छात्राओं के भविष्य को लेकर अभिभावकों की अपेक्षा के अनुसार छात्र–छात्राओं की कैरियर काउंसलिंग की जा सके। संघ का उद्देश्य छात्र–छात्राओं एवं अभिभावकों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना भी है।

छात्र कल्याण समिति

छात्र–छात्राओं की समस्याओं के समाधान एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु महाविद्यालय में छात्र कल्याण समिति कार्यरत है इससे विद्यार्थी रोजगार जिज्ञासा, आर्थिक सहायता व अन्य आवश्यक मार्ग–निर्देशन प्राप्त कर लाभान्वित होते है।

डिस्पेंसरी

महाविद्यालय में सत्र 2017–18 से डिस्पेंसरी भी आरम्भ की गई है। डिस्पेंसरी में प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सभी उपकरण एवं आवश्यक दवाएं उपलब्ध है। डिस्पेंसरी के माध्यम से शिक्षकों, कार्मिकों एंव छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य की नियमित जांच भी की जाती है।

महाविद्यालय पत्रिका

महाविद्यालय पत्रिका 'चमन संदेश' का प्रकाशन प्रति वर्ष किया जाता है,जिससे छात्र–छात्राओं की लेखन प्रतिभा एवं आत्माभिव्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है।

कम्प्यूटर लैब

वर्तमान में कम्प्यूटर आधारित अध्ययन का महत्व दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है एवं जीवन के हर क्षेत्र में इसकी उपयोगिता महसूस की जा रही है। महाविद्यालय में इंटरनेट कनेक्शन सहित सुसज्जित कम्प्यूटर प्रयोगशाला स्थापित की गयी है। समयानुसार कम्प्यूटर लैब सहायक तथा तत्सम्बन्धी प्राध्यापक से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर छात्र–छात्राएँ प्रयोगशाला में प्रवेश करें।

आन्तरिक गुणवत्ता संवर्द्धन प्रकोष्ठ (IQAC)

महाविद्यालय में आन्तरिक गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए मार्गदर्शन, सुझाव, नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी के उद्देश्य से इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया। है यह प्रकोष्ठ वर्ष 2019–20 से क्रियाशील है।

इतिहास की छात्रवृत्तियाँ

महाविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के मूल निवासी विद्यार्थियों को निम्न प्रकार छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है -

अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक/विकलांग छात्र–छात्राओं को समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। समय–समय पर शासनादेशों के अनुसार ही उक्त छात्रवृत्तियों का वितरण किया जाता है। इसके लिए विद्यार्थियों को निर्धारित आवेदन–पत्र पर वांछित प्रमाण–पत्रों सहित सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करनी पड़ती है। छात्रवृत्ति सम्बंधी निर्देशों को नोटिस बोर्ड पर अंकित किया जाता है। लाभान्वित होने पर विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे इन निर्देशों की जानकारी रखें। आरक्षित वर्ग से इतर मेधावी छात्र–छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। आर्थिक रुप से निर्धन छात्र/छात्राओं हेतु महाविद्यालय में निर्धन छात्रवृति का प्रावधान है।

निर्धन छात्र कोष

निर्धन छात्र कोष से प्रति वर्ष छात्रों को आर्थिक सहायता नियमानुसार वितरित की जाती है। इच्छुक छात्र/छात्रा नोटिस बोर्ड पर लगी सूचना के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन कर सकते/सकती हैं।

प्रवेश नियम

1. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल द्वारा निर्देशित प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार अर्ह छात्र–छात्राओं को योग्यता सूची अथवा प्रथम आओ–प्रथम पाओ के आधार पर दिया जाता है।
2. विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए मान्य परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा कला एवं वाणिज्य संकाय में प्रवेश के लिए मान्य परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक आवश्यक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रवेश अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी। परन्तु उदाहरणार्थ 39.90 प्रतिशत एवं 44.90 प्रतिशत अंकों को क्रमशः 40 प्रतिशत एवं 45 प्रतिशत नहीं माना जायेगा।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या–1144/कार्मिक–2–2001–53 (1)/2001 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुमन्य होगी जो इस प्रकार है–

   अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्ग 14 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थियों में निम्न प्रकार से होरीजेन्टल आरक्षण देय होगा। महिलायें 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक 5 प्रतिशत, विकलांग 4 प्रतिशत, ई.डब्ल्यू.एस. 10 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 2 प्रतिशत।

   उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक कक्षा में 90 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर ही प्रवेश मिल सकेगा। उत्तराखण्ड से बाहर की सीट रिक्त रहने की स्थिति में उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सूची के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

   विकलांग अभ्यर्थी को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आता है उसी श्रेणी में 4 प्रतिशत का आरक्षण देय होगा। आरक्षित सीटों पर प्रवेशार्थी उपलब्ध न होने पर सीटों को सामान्य श्रेणी से भरा जा सकेगा।

4. अभ्यर्थी अपने पंजीकरण आवेदन पत्र/प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियों सहित पिछली/अर्ह कक्षा की उत्तीर्ण अंक तालिका अनिवार्य रूप से संलग्न करेगा।
5. नये विद्यार्थी को प्रवेश के समय जिस संस्थान में अध्ययन किया है उस संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र एवं स्थानान्तरण/माइग्रेशन प्रमाण–पत्र मूल रूप से जमा करना आवश्यक है।
6. अपूर्ण आवेदन पत्र तथा वांछित प्रमाण–पत्रों के अभाव में या निर्धारित समय के बाद जमा किये गये पंजीकरण आवेदन–पत्र / प्रवेश आवेदन–पत्रों पर प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
7. आरक्षण का लाभ पाने वाले छात्र/छात्राओं को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
8. शासकीय या अन्य संस्थाओं में सेवारत अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए अपने सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य है।
9. पंजीकरण आवेदन पत्र/प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी को नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो यथा स्थान पर चिपकाना आवश्यक है।

10. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय को बिना कोई कारण दिये प्रवेश न देने / निरस्त करने का अधिकार होगा।
11. उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. जिन छात्र / छात्राओं की गतिविधियों नियन्ता मण्डल / प्रशासन की राय में अवांछनीय हैं, उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दण्डित अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
13. छात्र / छात्राओं को स्नातक स्तर पर 6 वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 4 वर्ष तक ही संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने की सुविधा रहेगी।
14. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से (10+2) इण्टरमीडिएट पांच विषय सहित उत्तीर्ण छात्र / छात्रा स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह हैं।
16. प्रवेश की अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन–पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।
17. संस्थागत विद्यार्थी एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मिलित होगा। यदि कोई छात्र / छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।
18. युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों (पुत्र / पुत्री, पत्नी, भाई / बहिन)को यदि वे अर्ह हो तो स्नातक स्तर पर ऐसे सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
19. स्नातक स्तर पर प्रवेश योग्यता सूची के आधार पर दिया जायेगा। योग्यता सूची इण्टरमीडिएट / समकक्ष अर्ह परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त (अधिभार) जोड़कर अंतिम योग्यता सूची बनाकर प्रवेश दिया जायेगा।
20. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अर्ह परीक्षा में प्राप्तांक ग्रेड या सी.जी.पी.ए. में है, मेरिट निर्धारण हेतु प्राप्तांक को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु यदि अंक पत्र में सूत्र उल्लेखित नहीं है तो सूत्र की सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें। अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
21. महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबन्धित है। प्रवेश के समय छात्र / छात्रा एवं अभिभावक / संरक्षक द्वारा अलग–अलग दस रूपये के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। शपथ–पत्र प्रस्तुत न करने पर प्रवेश सम्भव नहीं होगा।
22. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार अभ्यर्थियों के सत्यापित प्रमाण–पत्रों पर ही प्रवेश समिति द्वारा विचार किया जायेगा। गलत प्रवेश होने पर प्रवेश समिति भी उत्तरदायी होगी।
23. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को प्रवेश समिति के समक्ष मूल प्रमाण–पत्रों सहित स्वयं उपस्थित होना होगा ताकि उसके छायाचित्र एवं प्रमाण–पत्रों का सत्यापन किया जा सके।
24. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को पूर्ण शुल्क जमा करना होगा।
25. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए महाविद्यालय / संकाय में प्राचार्य प्रवेश समितियों का गठन करेंगे। जो अलग–अलग संकायों में प्रवेश संबंधी कार्यों का दायित्व पूर्ण करेंगे। तत्संबंधी संकायों में प्रवेश के लिए उक्त समिति और प्राचार्य / संकायाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।
26. माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में स्नातक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय के रूप में प्रारम्भ किया जा चुका है। स्नातक द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थी अन्य तीन विषयों के साथ पर्यावरण विषय का अध्ययन भी करेंगे, जो कि उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
27. संकाय अथवा विषय बदलकर उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसकी परीक्षा छात्र एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो अर्थात् एक संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उसी कक्षा / दूसरे संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उदाहरणार्थ – यदि किसी छात्र ने एम.ए. अर्थशास्त्र उत्तीर्ण कर लिया हो तो उसे कला संकाय के किसी अन्य विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और न ही वह किसी संकाय ही समकक्ष कक्षा में प्रवेश ले सकता है।

28. अनुचित साधन के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
29. यदि किसी छात्र ने बी.कॉम/बी.ए. प्रथम वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण की है और द्वितीय वर्ष में संस्थागत रूप में प्रवेश लेना चाहता है तो उसके लिए बी.कॉम./ बी.ए. प्रथम वर्ष में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। इसी प्रकार एम. कॉम./ एम.ए. के लिए भी व्यक्तिगत 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है एवं विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रवेश प्राप्त कर सकते है।

प्रवेश परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में निम्न व्यवस्था लागू होगी।

30. (क) प्रवेश परीक्षा प्राप्तांक का 60 प्रतिशत तथा इण्टरमीडिएट/समकक्ष अर्ह परीक्षा के प्राप्तांको का 40 प्रतिशत इस प्रतिबंध के साथ दिया जाये कि उत्तराखण्ड बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांको में 5 अंकों की वृद्धि कर योग्यता सूची बनाई जायेगी। (ख) प्रवेश परीक्षा का आयोजन ना होने की स्थिति में योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे। योग्यता सूची इण्टरमीडिएट/समकक्ष अर्ह परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर बनाई जायेगी तथा उत्तराखण्ड बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांकों के प्रतिशत में 5 अंकों की वृद्धि कर योग्यता सूची बनाई जायेगी।
31. (क) गढ़वाल मण्डल में इण्टरमीडिएट / समकक्षीय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को 5 अंक देय होंगे। (ख) राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को क्रमशः 5 तथा 7 अंक अतिरिक्त देय होंगे।
32. केवल वे छात्र भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा भूगोल के साथ अथवा विज्ञान संवर्ग के साथ उत्तीर्ण की हो।
33. केवल वे छात्र गणित का अध्ययन कर सकते हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा कला अथवा विज्ञान वर्गान्तर्गत गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।
34. शैक्षिक कैलेण्डर सभी महाविद्यालयों/ संस्थानों पर एक समान रूप से लागू होगा।
35. प्रवेश की अन्तिम तिथि तक यदि (10+2) कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते कि उन्होंने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर दिये हो।
36. अन्य महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं द्वारा द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की अनुमति आवश्यक है।
37. छात्र/छात्रा जिस जाति/वर्ग में प्रवेश लेना चाहता है उस जाति/वर्ग का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करना होगा अन्यथा प्रवेश सामान्य वर्ग में माना जायेगा।
38. यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा कोई प्रमाण पत्र जमा करने के लिए समय की मांग करता है तो समयबद्ध प्रमाण पत्र जमा करना उसका स्वयं का उत्तरदायित्व होगा अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
39. यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा अन्तिम परीक्षा दो वर्ष से अधिक होगी तो बिना विश्वविद्यालय अनुमति के प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा।
40. छात्र–छात्राओं को 75 प्रतिशत उपस्थिति शासनादेश संख्या 52 (1) 15–(उ.शि.) 71/97/दिनांक 11 जून 1987 के अनुसार पूर्ण करनी होगी।
41. किसी भी अभ्यर्थी को आन्तरिक परीक्षा छूटने पर अलग से परीक्षा नहीं ली जायेगी।
42. परीक्षाफल घोषित होने के 20 दिनों के अन्तराल पर प्रवेश अनिवार्य है। अन्यथा विलम्ब शुल्क देय होगा।
43. टी.सी. और सी.सी. प्राप्त करने के लिए क्रमशः 50 रुपये तथा फीस एवं परिचय पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु 75 रुपये देय होंगे।
44. छात्र/छात्रा प्रवेश विवरणिका के नियमों का अध्ययन करें एवं गंभीरतापूर्ण विचार–विमर्श कर विषय का चयन करें। एक बार विषय चुनने के उपरांत किसी प्रकार का विषय परिवर्तन नहीं होगा।

नई शिक्षा नीति के निर्देश

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम संरचना एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों को वर्तमान सत्र 2022–23 से लागू करने हेतु सामान्य दिशा–निर्देश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिसक यत्र 2022–23 से लागू किए जाने के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1196/XXIV-C-4/2021-01(06)/2019, दिनांक 08 अक्टूबर 2021 के क्रम में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के परिसर एवं समस्त संबद्ध महाविद्यालयों हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रस्तावित प्रारूप पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2022–23 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश एवं अन्य संबंधित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में दिशा–निर्देश प्रस्तावित किये जा रहे हैं। सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इस दिशा–निर्देश का संशोधित प्रारूप भी जारी किया जा सकता है अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है।

विश्वविद्यालय परिसर तथा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों/संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे :

- तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम.आदि) में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।
- स्नातक (शोध सहित) बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम.आदि एवं स्नाक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों मे च्वाइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2023–24 से लागू होगा।
- बी.ए. आनर्स, बी.एस.सी. आनस, बी.कॉम. आनर्स इत्यादि एवं अन्य एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में च्वाइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2023–24 से लागू होगा।
- पी.एच.डी. कार्यक्रमों में नवीन व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2024–25 से लागू होगी।
- स्नातक/स्नातकोत्तर के समस्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2021–22 तक प्रवेशित छात्रों पर उनके उपाधि प्राप्त करने तक यह नए नियम लागू नहीं होंगे अर्थात पूर्व में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर यह दिशा–निर्देश प्रभावी नहीं होंगे। महाविद्यालयों में पूर्व से संचालित स्नातक स्तर पर वार्षिक पद्धति तथा परिसर में संचालित सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत अध्यापन और परीक्षा पूर्ववत् ही संपादित होगी।

2. पाठ्यक्रम

स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख/मेजर विषय (दो कोर एवं एक इलेक्टिव) एक माइनर इलेक्टिव पेपर, दो सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख/मेजर विषय (दो कोर एव एक

इलेक्टिव) विषय, एक माइनर इलेक्टिव पेपर, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diplom a in Faculty प्रदान किया जायेगा।

तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख / मेजर विषय (दो कोर एवं एक इलेक्टिव) विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।

विद्यार्थी को सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा पर उनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार परक पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। विद्यार्थी को सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर ही स्नातक की उपाधि प्राप्त होगी। विद्यार्थी निकास के पश्चात् अगले स्तर पर पुनः प्रवेश ले सकेगा किन्तु प्रवेश लेने पर उसे अपना सर्टिफिकेट / डिप्लोमा विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। साथ ही पूर्व पात्रता के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध होगी।

विद्यार्थी संकाय में सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर न्यूनतम 60% क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसे स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60% क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन की उपाधि दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिसमें स्नातक स्तर पर किसी भी विषय के पूर्व पात्रता की आवश्यक शर्त नहीं होगी।

3. नई शिक्षा नीति में प्रवेश के नियम

सर्वप्रथम विद्यार्थी परिसर / महाविद्यालय में अपने संकाय का चुनाव स्नातक स्तर पर अपने प्रवेश पर ही करेगा। परिसर / महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर विद्यार्थी को संबंधित संकाय में प्रवेश दे सकेंगे। प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर परिसर / महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा किये जायेंगे।

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय वर्ग / संकाय के लिए पूर्व पात्रता (Pre-requisite)

विज्ञान वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय, वाणिज्य संकाय तथा कृषि संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

कला वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय एवं वाणिज्य संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के योग्य होगा।

वाणिज्य वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय अथवा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

कृषि वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कृषि संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

व्यवसायिक वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

मुख्य (Major) विषय तथा गौण चयनित (Minor Elective) पेपर

- विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (Major) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।
- तीसरे मुख्य (Major) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।
- विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय में 4 क्रेडिट का होगा।
- मेजर/माइनर इलेक्टिव विषय विद्यार्थी को किसी भी संकाय से लेना होगा और इसके लिए किसी भी Pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।
- बहुविषयकता सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) लेना होगा।
- तीसरे मुख्य (मेजर) इलेक्टिव विषय तथा माइनर इलेक्टिव विषयों का चयन विद्यार्थी द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से हो।

  किसी संस्था में एक ही संकाय की स्थिति में अथवा संस्थान के स्तर पर अपने संस्थान के अन्य विभाग से लिया जा सकता है। माइनर इलेक्टिव कोर्स ऑनलाइन माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है।
- स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर चुनाव अन्य संकाय से करना होगां
- विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर विषय/पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय को आबंटित कर सकता है। तृतीय, पाँचवे एव छठवें वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।
- विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव कर सकता है।
- माइनर इलेक्टिव विषय क ाचुनाव संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जायेगा। चुने हुए माइनर विषय/पेपर की कक्षायें फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ होगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जायेगी।

4. नई शिक्षा नीति के प्रावधान (P.G.)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप विश्वविद्यालय व्यवस्था के दृष्टिगत संचालित कला संकाय के विषयों को तीन समूहों (समूह अ, समूह ब तथा समूह स) में विभाजित करते हुए इनके चयन संबंधी निर्देश निम्नवत् प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रारंभिक रूप से यह नियम सत्र 2023–24 हेतु प्रभावी होंगे। आगामी सत्रों से इन नियमों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। नियम परिवर्तन की दिशा में पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी।

समूह अ	समूह ब	समूह स
Hindi	Drawing and Painting	Economics
English	Home Science	History
Sanskrit	Education	Political Science
	Geography	Philosphy
	Music	Sociology
	Psychology	
	Military & Defence Studies	
	Anthropology	

प्रत्येक विद्यार्थी कला संकाय के अंतर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम दो और अधिकतम तीन प्रमुख / मेजर (02 कोर व एक 01 इलेक्टिव) विषयों का चयन कर सकता है। सामान्य रूप से प्रथम सेमेस्टर में चयनित विषय का अध्ययन विद्यार्थी को द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में भी करना होगा।

किसी एक ही समूह के दो मेजर कोर लेने के पश्चात् मेजर इलेक्टिव अन्य समूह या अन्त संकाय से लिया जाएगा। विद्यार्थी किसी एक समूह से अधिकतम दो विषयों का ही चयन मेजर कोर के रूप में कर सकता है। किसी एक समूह से तीन प्रमुख/मेजर विषयों का चयन नहीं किया जाएगा। अतः विद्यार्थी दो से अधिक भाषा /साहित्य विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा व दो से अधिक प्रयोगात्मक विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा।

5. विज्ञान संकाय –

समान प्रक्रिया विज्ञान संकाय के विषयों के संदर्भ में भी अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विज्ञान संकाय के विषयों को तीन समूहों में विभाजित करते हुए विज्ञान संकाय में दो कोर प्रमुख / मेजर विषय का चयन समूह अ / समूह ब / समूह स से किया जा सकता है। 02 मेजर कोर विषय का चयन एक ही समूह से करने के पश्चात मेजर इलेक्टिव का चयन अन्य संकाय या अन्य समूह से किया जाएगा। इस प्रकार एक ही समूह से दो मेजर कोर व एक मेजर इलेक्टिव का चयन नहीं किया जा सकता।

समूह अ	समूह ब	समूह स
Physics	Botany	Chemistry
Mathematics	Zoology	Geology
	Biotechnology	Statistics
		Computer Science

6. वाणिज्य संकाय –

वाणिज्य संकाय के विषयों को तीन समूह में विभाजित किया गया है :

समूह अ	समूह ब	समूह स
Financial Accounting (Major Core own Faculty)	Business Regulatory Frame work (Major Core own Faculity)	Business Organization & Management
		Business Communication (Major Elective per own faculty/other faculty)

वाणिज्य संकाय में प्रवेशरत विद्यार्थी समूह अ, ब, स को मेजर कोर की तरह चयनित करेगा। विद्यार्थी दो मेजर कोर वाणिज्य संकाय से लेने के पश्चात् तीसरे मेजर इलेक्टिव का चयन वाणिज्य संकाय के समूह स से अथवा अन्य संकाय से कर सकता है।

7. कौशल विकास पाठ्यक्रम

कौशल विकास/रोजगार परके पाठ्यक्रमों के संदर्भ में विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय स्तर पर उत्तराखण्ड शासन के उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या 1196/XXIV-C-4/2021-01(06)/2019, दिनांक 08 अक्टूबर 2021 के अनुक्रम में कार्यवाही अपेक्षित है।

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक–एक कौशल विकास कोर्स 12(3x4) क्रेडिट के चार पाठ्यक्रम के साथ पूर्ण करना होगा।

परिसर/महाविद्यालय को स्थानीय आवश्यकता और कॉर्पोरेट सेक्टर की मांग के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्धारण अपने स्तर से करने की स्वतंत्रता होगी।

8. सह–पाठ्यक्रम

- स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक–एक सह पाठ्यक्रम करना अनिवार्य होगा।
- विद्यार्थी को हर सह–पाठ्यक्रम को 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

- ये छह पाठ्यक्रम सेमेस्टर अनुसार निम्नवत् होंगे :

  प्रथम सेमेस्टर : संपर्क व्यवहार कौशल

  द्वितीय सेमेस्टर : पर्यावरण अध्ययन एवं मूल्य शिक्षा

  तृतीय सेमेस्टर : श्रीमद भगवत गीता में प्रबंधन प्रतिमान

  चतुर्थ सेमेस्टर : वैदिक विज्ञान / वैदिक गणित

  पंचम सेमेस्टर : ध्यान / राम चरित मानस के अनुप्रयुक्त दर्शन के माध्यम से व्यक्तित्व विकास

  षष्टम सेमेस्टर : भारतीय पारंपरिक ज्ञान का सार / विवेकानन्द अध्ययन

9. शोध परियोजना

- स्नातक / स्नातकोत्तर (पी.जी.डी.आर.) स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवे से ग्यारहवे सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी।
- विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्टम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बन्धित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना Interdisciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिग / इंटर्नशिप / सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को सुपरवाइजर किसी उद्योग / कम्पनी / तकनीकी संस्थान / शोध संस्थान से लिया जा सकता है।
- विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबन्ध Report/Dissertation जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अत में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।
- स्नातक स्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्यक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी. पी.ए. की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

10. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

- थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा / प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा।
- प्रैक्टिकल / इंटर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे / प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल / इंटर्नशिप / फील्ड वर्क आदि कराना होगा।
- क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय ''ऐकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट'' के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।
- विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने

पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चतुवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) केर 46 क्रेडिट को खाते मे रि–क्रेडिट (Re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (4646) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट / डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

- यदि कोई योग्य विद्यार्थी (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- तीन वष में विद्यार्थी तीन मुख्य (Major) विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री प्रदान की जायेगी।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B-L-E) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के Pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।
- यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टिफिकेट / डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट रि–क्रेडिट (Re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रि–क्रेडिट (Re-credit) किए गए क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट / डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

11. कक्षान्नोति (Promotion)

- विद्यार्थी को विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अगले सम सेमेस्टर (Even Semester) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम (Odd Semester) का परिणाम कुछ भी हो।
- सम सेमेस्टर (Even Semester) से अगले विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी :

  विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (Required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा पूर्व वर्ष (वर्तमान वर्ष के अतिरिक्त) के लिये आवश्यक (Required) सभी (मुख्य / माइनर / स्किल इत्यादि)

पेपेर तथा Qualifying papers (सह–पाठ्यक्रम) के क्रेडिट्स उत्तीर्ण कर लिये हों।

- 50 प्रतिशत क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जायेंगे। जैसे कि 27.7 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

12. बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

- आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार परीक्षा (Improvement) नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर के संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।
- विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर के पेपर के लिए सम (विषम) सेमेस्टर में ही उपलब्ध होंगी।
- विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।
- विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित न होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर के लिए ही उपलब्ध होगी।

13. काल अवधि

- किसी भी एक वर्ष को पूरा करन की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

  व्याख्या (Explanation) : यदि विद्यार्थी सततता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

प्रवेश नियम

(विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु)

(शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से प्रभावी)

अध्याय–1 साधारण नियम :–

1.1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन/ऑफ लाइन (On Line/Off Line) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएंगे। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

1.2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। On Line/Off Line प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

1.3 परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के On Line/Off Line प्रवेश आवेदनों के आधार पर अन्तिम योग्यता सूची तैयार की जाएगी तथा काउसलिंग के उपरान्त परिसर/महाविद्यालय/संस्थान अन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे, जिनकी समस्त अर्हताओं तथा On Line/Off Line प्रवेश आवेदन पत्र/फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।

1.4 On Line/Off Line माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किये हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने ऑन लाइन/ऑफ लाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1.5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वेबसाइट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ–पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किये जाएंगे।

1.6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1.7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम /कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय–परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप से प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका

हो, ऐसे छात्र को मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने परर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1.8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी/समिति युक्ति संगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

1.9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अन्तर्गत ''धोखाधड़ी से प्रवेश लेना'' माना जायेगा तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

1.10 प्रवेशरत किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

1.11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जोकि निम्नवत् है–

1.	अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2.	अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा,जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैद्यता अवधि से पूर्व का न हो।)

नोट – स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा–

1.	महिलायें	30 प्रतिशत
2.	भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
3.	दिव्यांग	04 प्रतिशत
4.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal

Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता–क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीतिगत संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1.12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।

(i) Extension in date of admission upto 30 days

(ii) Relaxation in cut-off percentage upto 10% subject to minimum eligibility requirement

(iii) Waiving of domicile requirements

1.13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क)	एन०सी०सी० 'बी', 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
(ख)	राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)	20 अंक
(ग)	प्रतिरक्षा सेनाओं के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी / सगा भाई / बहन	20 अंक
(घ)	जम्मू–कश्मीर मे तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी / सगा भाई–बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी / सगा भाई–बहन	20 अंक
(ङ)	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	50 अंक
(च)	अन्तर–विश्वविद्यालय / राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर	40 अंक
(छ)	शासन द्वारा / खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर	30 अंक
(ज)	राज्य / अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(झ)	अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(ञ)	अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता	25 अंक
(ट)	जिला शिक्षा अधिकारी / सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला / मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर	20 अंक
(ठ)	अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर / महाविद्यालय / संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर	15 अंक

नोट – उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1.14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय / संकाय / महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय / संकाय / महाविद्यालय, में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों / महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

1.15 (क) स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु –

प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त –

1. अभ्यर्थी को प्रवेश योग्यता सूची के आधार व कक्षा में स्थान रिक्त होने पर दिये जायेंगे (शैक्षणिक अवरोध की दशा में योग्यता सूची तैयार किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये विद्यार्थी की इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्तांकों के 05 प्रतिशत अंक कम किये जायेंगे)।

2. किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation) :– यदि विद्यार्थी सततता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

3. भविष्य में यू०जी०सी० अथवा एन०एच०ई०क्यू०एफ० के माध्यम से उपरोक्त सम्बन्ध में जो भी दिशा–निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।

1.16 श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाही थौल, टिहरी गढ़वाल से सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी०सी०) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

1.17 (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्थाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जोकि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1.18 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण – विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाही थौल, टिहरी गढ़वाल के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुल सचिव
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाही थौल, टिहरी गढ़वाल

Course Fee

S. No.	Course Fee	Boys	Girls
1	BA (NP)	3542	3410
2	BA (P)	4022	3890
3	B.Sc (PCM)/(PCM)	4022	3890
4	B.Sc. (ZBC)	4262	4130
5	B.Com.	4022	3890
6	B. Lib.	4262	4130
7	B.Sc. (Home Sc.)	4262	4130

S. No.	Self Finance Course Fee	Boys / Girls
1	BA Self Finance (P+NP)	3542 Annual
2	B.Com. Hons.	7000 Sem.
3	B.Sc (Ag.)	9000 Sem.
4	M.Lib.	17000 Annual
5	PG Diploma (Yog)	8500 Sem.
6	MA (Yog)	8500 Sem.
7	MA (Journalism)	5000 Sem.
8	MA (Hindi)	5000 Sem.
9	MA (History)	5000 Sem.
10	MA (Economics)	5000 Sem.
11	MA (English)	5000 Sem.
12	MA (Sanskrit)	5000 Sem.
13	MA (Political Science)	5000 Sem.
14	MA (Sociology)	5000 Sem.
15	M.Com.	6000 Sem.
16	MA (Geography)	6000 Sem.
17	MA (Home Science)	6000 Sem.
18	MA (Drawing & Painting)	6000 Sem.
19	M.Sc (Botany)	6000 Sem.
20	M.Sc (Zology)	6000 Sem.
21	M.Sc (Chemistry)	6000 Sem.
22	M.Sc (Physics)	6000 Sem.
23	M.Sc. (Mathematics)	6000 Sem.
24	M.Sc (Microbiology)	12000 Sem.

नोट : 1. यदि विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा शुल्क में वृद्धि या अन्य कोई बदलाव किया जाता है तो बढ़ाया गया शुल्क छात्र/छात्रा द्वारा देय होगा।
2. उपर्युक्त शुल्क में सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा शुल्क सम्मिलित नहीं है। परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा।

महाविद्यालय परिवार

शिक्षक वर्ग :

प्राचार्य (पद रिक्त)

कला संकाय :

1– अंग्रेजी विभाग :
(i) डॉ. दीपा अग्रवाल, सहायक आचार्या 9758243800
(ii) डॉ. अपर्णा शर्मा, सहायक आचार्या 8660355780

2– अर्थशास्त्र विभाग :
(i) डॉ. विमलकांत तिवारी, सहायक आचार्य 9456380014
(ii) पद रिक्त

3– इतिहास :
डॉ. सूर्यकान्त शर्मा, सहायक आचार्य 9457370007

4– चित्रकला :
(i) पद रिक्त

5– गृह विज्ञान :
(i) डॉ. नीतू गुप्ता, सहायक आचार्या 9808964601
(ii) डॉ. अनामिका चौहान, सहायक आचार्या 7417386252

6– भूगोल :
डॉ. नवीन कुमार त्यागी, सहायक आचार्य 9675569090

7– राजनीति विज्ञान विभाग :
(i) डॉ. नीशू कुमार, सहायक आचार्य 8126501692
(ii) डॉ. धर्मेन्द्र कुमार, सहायक आचार्य 9758085375

8– समाजशास्त्र विभाग :
(i) श्री नवीन कुमार, सहायक आचार्य 7310585039
(ii) डॉ. हिमांशु कुमार, सहायक आचार्य 9720372818

9– संस्कृत विभाग :
डॉ. अनिता रानी, सहायक आचार्या 9410365317

10–हिन्दी विभाग :
(i) डॉ. मीरा चौरसिया, सहायक आचार्या 9760222405
(ii) श्री आशुतोष शर्मा, सहायक आचार्य 9410247787

वाणिज्य संकाय :

(i) डॉ. किरन शर्मा, सहायक आचार्या 9997906020
(ii) डॉ. देवपाल, सहायक आचार्य 9410367462
(iii) डॉ. श्वेता, सहायक आचार्या 9410771888

विज्ञान संकाय :

1– गणित विभाग :

(i) श्री विनीत कुमार, सहायक आचार्य 6395782335

(ii) डॉ. तरूण कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य 9917489599

2– जन्तु विज्ञान विभाग

(i) डॉ. विधि त्यागी, सहायक आचार्या 9084079464

(ii) डॉ. दीपिका सैनी सहायक आचार्या 9756790820

3– भौतिक विज्ञान विभाग :

(i) श्री विपुल सिंह, सहायक आचार्य 9997402701

(ii) डॉ. अरविन्द कुमार, सहायक आचार्य 9027966128

4– भूगर्भ विज्ञान विभाग :

(i) पद रिक्त

5– रसायन विज्ञान विभाग :

(i) डॉ. संजीव कुमार, सहायक आचार्य 9837419074

(ii) पद रिक्त

6– वनस्पति विज्ञान विभाग :

(i) डॉ. मौ. इरफान, सहायक आचार्य 9897548687

(ii) डॉ. ऋचा चौहान, सहायक आचार्या 8869033804

7– सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग :

डॉ. प्रभात कुमार सिंह, सहायक आचार्य 9719136157

8– कम्प्यूटर साइंस विभाग :

पद रिक्त

9– बी.एस–सी. :

गृह विज्ञान

10–योगा : (स्व वित्त पोषित)

11–कृषि विज्ञान : (स्व वित्त पोषित)

पुस्तकालय विज्ञान विभाग :

डॉ. कुलदीप कुमार, सहायक आचार्य 8630825622

डॉ. पुनीता शर्मा, सहायक आचार्या 9359578707

पुस्तकालय एवं कार्यालय

1.	वेतन रहित अवकाश	पुस्तकालयाध्यक्ष	
2.	श्री दिनेश कुमार	कार्यालय अधीक्षक	9719757864
3.	श्री विदित कौशल	लेखाकार	7251970885
4.	श्रीमती मंजूलता	उप सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	8979004189
5.	श्री निशिथ कुमार	स्टेनो	7983909933
6.	श्री दिनेश कौशिक	कनिष्ठ सहायक	7017590322
7.	श्री सचिन शर्मा	कनिष्ठ सहायक	7218372584
8.	पद रिक्त	कनिष्ठ सहायक	
9.	श्री दीपक चौधरी	कनिष्ठ सहायक	9927512002
10.	श्री विपिन कुमार	कनिष्ठ सहायक	9808748098
11.	श्री विशाल कुमार	कनिष्ठ सहायक	6396257607
12.	श्री सुमित कौशिक	कनिष्ठ सहायक	8218796863
13.	श्री रविन्द्र सिंह	कनिष्ठ सहायक	7253992679

प्रयोगशाला सहायक :

1.	श्री अभिषेक	प्रयोगशाला सहायक (भूगर्भ विज्ञान)	8077770312
2.	श्रीमती रीना गुप्ता	प्रयोगशाला सहायक (गृहविज्ञान)	7017628124
3.	पद रिक्त	प्रयोगशाला सहायक (गृहविज्ञान)	
4.	श्रीमती प्रणीता भण्डारी	प्रयोगशाला सहायक (कम्प्यूटर विज्ञान)	7351390787
5.	श्री जितेश बगड़वाल	प्रयोगशाला सहायक (कम्प्यूटर विज्ञान)	9756219335
6.	श्री अमित बहादुर	प्रयोगशाला सहायक (चित्रकला)(अनु.)	9058069676
7.	पद रिक्त	प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान)	
8.	सुश्री दीपाक्षी शर्मा	प्रयोगशाला सहायक (माइक्रोबाइलॉजी)	7906063101
9.	श्री नावेद आसिफ	प्रयोगशाला सहायक (भूगोल)	9837864510
10.	श्री गौरव अग्रवाल	प्रयोगशाला सहायक (भौतिक विज्ञान)	9759961016
11.	श्री भुवन चन्द्र ब्रजवासी	प्रयोगशाला सहायक (जन्तु विज्ञान)	7895643116
12.	श्री सतीश कुमार	प्रयोगशाला सहायक (वनस्पति विज्ञान)	

चतुर्थ श्रेणी वर्ग :

1.	श्री अमित कुमार गुप्ता	7078163114	11.	श्री मुकेश कुमार	8958533192
2.	श्री अंकुर शर्मा	8077695625	12.	श्री सतीश कुमार	9675331062
3.	श्री अनुज कुमार	9528186958	13.	श्री सत्तार	6397159083
4.	श्री अनुराग पाल	7895573968	14.	श्री विनय कुमार	7897294237
5.	श्रीमती अर्चना	9639716481	15.	श्री दिनेश कुमार	9917703573
6.	श्री अर्जुन कुमार	9368191366	16.	श्रीमती नीलम देवी	8859855288
7.	श्री दुष्यन्त कुमार	7900801568	17.	श्री अर्पित कुमार	8445469007
8.	श्री प्रदीप कुमार	6397110770	18.	श्रीमती ऋतु	7818953496
9.	श्री प्रमोद कुमार मलकानी	9756025706	19.	श्री नवीन गिरि	7983346972
10	श्री राजन हरित	8630169935			

महाविद्यालय की महत्वपूर्ण समितियाँ

1- आई.क्यू. ए.सी.:

- डॉ. दीपा अग्रवाल
- डॉ. नवीन कुमार
- डॉ. ऋचा चौहान
- डॉ. तरुण कुमार गुप्ता
- डॉ. विधि त्यागी
- डॉ. नीतू गुप्ता
- डॉ. श्वेता

2-परीक्षा समिति :

- डॉ. तरुण गुप्ता
- डॉ. सूर्यकान्त शर्मा
- श्री विनीत कुमार
- डॉ. नवीन कुमार
- श्री विपुल सिंह
- डॉ. विमल कान्त तिवारी
- डॉ. संजीव चौहान
- डॉ. मीरा चौरासिया

3- अनुशासन समिति :

- डॉ. नीशू कुमार
- डॉ. किरण शर्मा
- श्री विपुल सिंह
- डॉ. प्रभात कुमार सिंह
- डॉ. नीतू गुप्ता
- डॉ. हिमांशु कुमार
- डॉ. श्वेता

4- क्रीड़ा समिति :

- श्री विपुल सिंह
- डॉ. तरुण कुमार गुप्ता
- डॉ. धर्मेन्द्र कुमार
- डॉ. अनीता रानी
- डॉ. अनामिका चौहान

5- प्रवेश समिति :

- श्री नवीन कुमार
- डॉ. सूर्यकान्त शर्मा
- डॉ. मीरा चौरासिया
- डॉ. किरन शर्मा
- डॉ. देवपाल
- डॉ. संजीव कुमार
- डॉ. विधि त्यागी
- डॉ. कुलदीप
- डॉ. अनामिका चौहान
- डॉ. पुनीता शर्मा

6- कैरियर काउंसलिंग प्लेसमेंट असिस्टेंट समिति :

- डॉ. अरविन्द कुमार
- डॉ. दीपिका सैनी

7- शोध समिति :

- डॉ. देवपाल
- डॉ. अरविन्द कुमार

8- अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग :

- डॉ. धर्मेन्द्र कुमार
- डॉ. अरविन्द कुमार
- डॉ. श्वेता

9- पुरातन छात्र समिति :

- डॉ. विमल कान्त
- श्री नवीन कुमार

10-सांस्कृतिक क्रियाकलाप समिति :

- डॉ. श्वेता
- डॉ. अर्पणा शर्मा
- श्री आशुतोष शर्मा
- डॉ. दीपिका सैनी
- डॉ. पुनीता शर्मा

11-तम्बाकू निषेध एवं एंटी ड्रग समिति :

- डॉ. संजीव कुमार
- डॉ. मौ. इरफान

12-एंटी रैगिग :

- डॉ. दीपिका सैनी
- डॉ. प्रभात कुमार सिंह

13-शिकायत निवारण प्रकोष्ठ :

- डॉ. हिमांशु कुमार
- डॉ. अनामिका चौहान

14- ई-लर्निंग समिति :

- डॉ. विधि त्यागी
- डॉ. हिमांशु कुमार

15- निर्धन एवं मेधावी (मेंटोरशिप)

छात्र-छात्रा/कल्याण समिति :

- डॉ. श्वेता
- श्री विनीत कुमार

16-शिक्षक-अभिभावक संघ :

- डॉ. मीरा चौरासिया
- श्री नवीन कुमार

17-स्वास्थ्य जागरुकता समिति :

- डॉ. प्रभात कुमार सिंह
- डॉ. किरन शर्मा

18-महाविद्यालय समय-सारणी समिति :

- श्री विनीत कुमार
- डॉ. संजीव कुमार
- डॉ. देवपाल
- डॉ. कुलदीप कुमार

19-पुस्तकालय समिति :

- डॉ. पुनीता शर्मा
- डॉ. मौ. इरफान
- श्री आशुतोष शर्मा

20-महाविद्यालय पत्रिका समिति :

- श्री आशुतोष शर्मा
- डॉ. अर्पणा शर्मा
- डॉ. अनीता शर्मा

21-महिला उत्पीड़न निषेध समिति :

- डॉ. अनामिका चौहान
- डॉ. मीरा चौरसिया

22-प्रांगण समिति :

- डॉ. किरन शर्मा
- डॉ. नीशू कुमार

23-प्रचार-प्रसार समिति :

- डॉ. अनीता शर्मा (प्रिंट मीडिया)
- डॉ. धर्मेन्द्र कुमार (सोशल मीडिया)

24-एन.सी.सी. :

- डॉ. अर्पणा शर्मा

25-रोवर्स रेंजर्स समिति :

- डॉ. सूर्यकान्त
- डॉ. ऋचा चौहान

26-एन.एस.एस. :

- डॉ. मौ. इरफान

27-एन.आई.आर.एफ.-ए.आई.एस.एच.ई. :

- डॉ. ऋचा चौहान

28-वेबसाइट समिति :

- डॉ. कुलदीप कुमार
- डॉ. ऋचा चौहान

29-प्रवेश विवरणिका :

- डॉ. नवीन कुमार
- डॉ. विमलकांत तिवारी

बोनाफाइड प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का आवेदन

परीक्षार्थी का नाम –
पिता का नाम –
पूर्ण पता –
प्रवेश संख्या –
प्रवेश शुल्क –

चमन लाल महाविद्यालय, लण्ढौरा (हरिद्वार)

बोनाफाइड प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि.....पुत्र/पुत्री श्री.....

ने महाविद्यालय में कक्षा .....में सत्र.....

में प्रवेश लिया है। छात्र द्वारा महाविद्यालय में निम्नानुसार शुल्क जमा किया गया।

शिक्षण शुल्कः–

प्रवेश शुल्कः–

योगः–

प्राचार्य

सेवा मे,
प्राचार्य
चमन लाल महाविद्यालय
लण्ढौरा (हरिद्वार)

विषयः अधूरे प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रार्थी/प्रार्थिनी ने महाविद्यालय में कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन किया है। अभी मेरे पास निम्नोक्त प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं है।

1.
2.
3.
4.

आपसे प्रार्थना है कि प्रार्थी/प्रार्थिनी को अस्थायी प्रवेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा उपर्युक्त प्रमाण –पत्र विलंबत 15 दिन में जमा करा दिए जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जाए।

भवदीय/भवदीया

छात्र/छात्रा का नाम–
पिता का नाम–
मोबाइल नंबर–

Form No.

चमन लाल महाविद्यालय, लण्ढौरा, हरिद्वार-247664

CHAMAN LAL MAHAVIDHYALYA, LANDHAURA, HARIDWAR-247664

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र (2022-23)

Application Form for Admission (2022-23)

Please affix self attested recent Colored Photograph

नोट (Note): जहाँ पर लागू हो बॉक्स में सही का चिन्ह (✓) लगाएं। (Which is applicable please TICk mark (✓) in the box.

1. (क) प्रवेश हेतु कक्षा का नाम : .....

   (a) Name of Class : UG ☐ PG ☐ Diploma/Certificate ☐

   (ख) सेमेस्टर/वर्ष (b) Semester/Year : .....

2. विषय : स्नातक ☐ स्नातकोत्तर ☐ अन्य ☐ आवेदित विषय समूह स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए (वरीयता क्रम में)

   Subject : UG ☐ PG ☐ Other ☐ Subjects applying for UG/PG Classes (in order of Preferences)

   1: ..... a) 1..... 2..... 3.....

   b) 1..... 2..... 3.....

   c) 1..... 2..... 3.....

प्रवेश के समय लिये गये विषयों में परिवर्तन एवं कक्षा परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

3. छात्र / छात्रा की आधार संख्या (Student's Aadhaar No.) | | | | | | | | | | | | |

4. प्रवेशार्थी का पूरा नाम (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार) Full name of Applicant (as per High School Certificate)

हिन्दी में (In Hindi)																				
अंग्रेजी में (In English)																				

5. जन्म तिथि (अ) अंकों में Date ☐☐ Month ☐☐ Year ☐☐☐☐ (ब) शब्दों में.....

   Date of Birth(a) in figures (b) in words: .....

6. आयु (01 जुलाई 2021 को):

   Age on (01-July-2021) : .....

7. लिंग (Sex) : पुरूष (Male) ☐ महिला (Female) ☐ ट्रांसजेन्डर (Transgender) ☐

8. पिता का नाम: ..... माता का नाम: .....

   Father's Name: ..... Mother's Name:.....

दूरभाष नं० (Mobile No.)										

अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

ई-मेल (e-mail)																				

9. धर्म (Religion): हिन्दू (Hindu) ☐ मुस्लिम (Muslim) ☐ सिख (Sikh) ☐ ईसाई (Christian) ☐

   बौद्ध (Buddhist) ☐ जैन (Jain) ☐ अन्य (Other) ☐

10. माता/पिता का स्थायी पता : .....

    Permanent Address of Mother/Father: .....

11. स्थानीय अभिभावक का नाम : .....

    पता व फोन नं० : .....

    Name of Local Guardian: ..... छात्र/छात्रा से सम्बन्ध (Relation): .....

    Address & Phone No. : .....

    नोट (Note): छात्र/छात्राओं से अपेक्षा है कि वे अपना मोबाइल नंबर परिवर्तित न करें। (Students Please do not Change your Mobile No.)

12. (i) वर्ग Category : सामान्य वर्ग (Gen) ☐ पिछड़ी जाति (OBC) ☐ अनुसूचित जाति (SC) ☐ अनुसूचित जनजाति (ST) ☐

    (ii) उपवर्ग Subcategory : दिव्यांग (PWD) ☐ मुस्लिम (Muslim Minority) ☐ अन्य अल्पसंख्यक (Other Minority) ☐

    (iii) अन्य Other : पूर्व सैनिक (Defence) ☐ बी.पी.एल. (BPL) ☐ ए.पी.एल. (APL) ☐

13. राष्ट्रीयता: (अ) भारतीय (राज्य का नाम) ☐ (ब) विदेशी (देश का नाम) ☐

    Nationality: (a) Indian (Name of the State (b) Foreigner (Name of the Country)

14. वैवाहिक स्थिति (Marital Status): (अ) अविवाहित (Unmarried) ☐ (ब) विवाहित (Married) ☐

15. माता/पिता की मासिक आय : .....

    Monthaly income of Mother/Father

16. वर्ग : कला विज्ञान वाणिज्य बी.एससी.

17. कार्यालय के उपयोग हेतु (सभी कॉलम अंकों के आधार पर भरें)

अधिमान	NCC	NSS	Games	Other	Marks in pre exam.	Total

अधिमान	GAP	Change of Faculty	Other	Total

Grand Total -	Deduction =	Net Total

चेक लिस्ट (अनिवार्य प्रमाण-पत्र)

1. हाईस्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्र
2. इण्टरमीडिएट अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्र
3. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)
4. चरित्र प्रमाण-पत्र (मूल रूप)
5. एण्टी रैगिंग शपथ-पत्र (छाया एवं अभिभावक द्वारा अलग-अलग)
6. आरक्षित वर्ग का प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
7. स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
8. पुलिस सत्यापन (अन्य राज्यों के छात्र-छात्राओं के लिए)
9. दस रूपये के स्टाम्प पर शपथ-पत्र (अन्य किसी स्थान पर प्रवेश नहीं लिया है)
10. इंटरमीडिएट के पश्चात पढ़ाई में गैप होने संबंधी शपथ-पत्र
11. एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर्स-रेंजर्स/स्पोर्ट्स या अन्य विशेष उपलब्धि का प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो
12. आधार कापी।

उपरोक्त संलग्न प्रमाण-पत्रों की जाँच कर ली गयी है।

जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (कार्यालय लिपिक)

प्रवेश समिति की संस्तुति

छात्र/छात्रा कु०/श्री..... को कक्षा..... में निम्नलिखित विषयों सहित प्रवेश की संस्तुति की जाती है।

बी०ए० 1 ..... 2 ..... 3 .....

बी०एस-सी० 1 ..... 2 ..... 3 .....

बी०कॉम०/बी०लिब 1 ..... 2 ..... 3 .....

एम.ए./एम.कॉम./एम.लिब./एम.एस-सी 1 ..... 2 ..... 3 .....

दिनांक..... ....

ह० सदस्य प्रवेश समिति ह० प्रभारी प्रवेश समिति

प्रवेश समिति की संस्तुति के आधार पर प्रवेश स्वीकृत किया जाता है। हस्ताक्षर निदेशक/प्राचार्य

17. विगत परीक्षाओं का विवरण स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र तथा चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में एवं विभिन्न परीक्षाओं के अंकपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ अनिवार्य रूप से संलग्न करें। अपूर्ण आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

(Details of the previous Examinations (Original Transfer and Character certificate along with self attested copies of mark sheet must be enclosed with the application form. Incomplete forms shall not be entertained)

क्र.सं. S.No.	परीक्षा का नाम Name of Exam.	वर्ष Year	बोर्ड/संस्थान Board/University	विषय Subjects	श्रेणी Division	कुल अंक Total marks	प्राप्तांक Marks Obtained	प्रतिशत %
1.	हाईस्कूल/High School							
2.	इण्टरमीडिएट/Intermediate/ Senior Secondary							
3.	बी.ए./बी.कॉम./बी.लिब./बी.एससी. B.A./B.Com./B.Lib./B.Sc.-I							
4.	बी.ए./बी.कॉम./बी.लिब./बी.एससी. B.A./B.Com./B.Lib./B.Sc.-II							
5.	बी.ए./बी.कॉम./बी.लिब./बी.एससी. B.A./B.Com./B.Lib./B.Sc.-III							
6.	एम.एससी./एम.ए./एम.कॉम. प्रथम/एम.लिब.							
7.	अन्य/Other							

18. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा (Last Examination Passed):

परीक्षा (Exam.) ..... वर्ष/सेमेस्टर (Year/Semester) ..... अनुक्रमांक (Roll No.) .....

विषय (Subjects) ..... परिणाम (Result) .....

संस्था का नाम (Name of Institute): .....

19. पाठ्येत्तर गतिविधियों में सहभागिता- (1) खेलकूद ☐ (2) एन.सी.सी. ☐ एन.एस.एस. ☐ अन्य ☐

Participation in Extra Curricular Activities- Sports NCC NSS Other

(प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करें/Attach attested Photocopies of the certificates)

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सभी विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही हैं। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि जब तक मैं इस महाविद्यालय का विद्यार्थी रहूँगा/रहूँगी, तब तक समस्त नियमों का पालन करूँगा/करूँगी। मैं यह घोषणा भी करता/करती हूँ कि मैं किसी अन्य संस्थान का नियमित छात्र/छात्रा नहीं हूँ। यदि नियम पालन एवं सूचनायें देने में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसका उत्तरदायित्व मेरा होगा। संस्थान द्वारा जो भी कार्यवाही की जायेगी वह मुझे व मेरे अभिभावक को मान्य होगी।

I hereby declare that all the particulars given in this application are correct to the best of my knowledge and belief. I also declare that I shall abide by all the rules and regulations of the college till such time as I remain student in the college. I also declare that I am not a regular student of any other institution/college. I shall be responsible for the information furnished by me and following the rules of the college.

प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर (Signature of Applicant)

अभिभावक के हस्ताक्षर (Signature of Guardian)

संलग्नकों का विवरण 1) ..... 2) ..... 3) ..... 4) ..... 5) .....

Details of Enclosures: 6) ..... 7) ..... 8) ..... 9) ..... 10) .....

प्रवेश समिति का निर्णय (Decision of Admission Committee)

छात्र/छात्रा कु./श्री.....को कक्षा.....वर्ष.....में निम्नलिखित विषयों सहित प्रवेश की संस्तुति की जाती है।

बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी/बी लिब/एम.ए./एम. लिब. 1..... 2..... 3.....

I hereby declare that Km./Mr./Sri.....has been able to get admission in the class..... year.....in the following subjects.

B.A./B.Com./B.Sc./B.Lib./M.A./M.Lib./M.Sc/योगाचार्य 1..... 2..... 3.....

दिनांक Date ..... संयोजक प्रवेश समिति Convenor Admission Committee ..... प्राचार्य Principal .....

कार्यालय उपयोग हेतु (For OfficeUse)

शुल्क रसीद संख्या (Fee Receipt No.)..... परिसर शुल्क खाता संख्या/नगद (College Fee A/C No./Cash).....

दिनांक (Date)..... कक्षा (Class)..... कुल प्राप्त शुल्क की धनराशि (Total Amount of fee).....

(शुल्क लिपिक के हस्ताक्षर)
(Signature of Clerk)

Form No.

चमन लाल महाविद्यालय, लण्ढौरा, हरिद्वार-247664

CHAMAN LAL MAHAVIDHYALYA, LANDHAURA, HARIDWAR-247664

पुस्तकालय आवेदन पत्र
Application For Library (2022 - 23)

Please affix self attested recent Colored Photograph

1. आवेदक का नाम : .....
   (Name of the Applicant)
   (i) हिन्दी में (In Hindi) : .....
   (ii) अंग्रेजी में (In English) : .....
2. पिता का नाम (Father's Name) : .....
3. माता का नाम (Mother's Name) : .....
4. दूरभाष नं० (Telephone No.) : .....
5. कक्षा (Class) : .....
6. छात्र को आवंटित विषय (अनुवर्ग) (UG) 1..... 2..... 3.....
   (Subject Allotted) (PG) 1..... 2..... 3.....

घोषणा (Declaration)

मैंने संस्थागत छात्र के रूप में सत्र 2020-21 में चमन लाल महाविद्यालय परिसर में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। मैं पुस्तकालय के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा/करूँगी तथा महाविद्यालय के पुस्तकालय की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाऊंगा/पहुँचाऊंगी।

I have been admitted as regular student in the college in session 2019-2020. I shall follow the rules of library and shall not make any damage to the property of the college.

.....	.....	.....
छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर	पिता/माता के हस्ताक्षर	स्थानीय संरक्षक के हस्ताक्षर
Sig. of Student	Father/Mother Sig.	Sig. of Local Guardian

कार्यालय उपयोग हेतु
(For OfficeUse Only)

नाम Name..... कक्षा Class..... विषय Subject.....

शुल्क रसीद संख्या Fee Receipt..... दिनांक Date..... को प्रवेश दिया गया has been admitted.

शुल्क लिपिक के हस्ताक्षर	पुस्तकालयाध्यक्ष
(Sig. of Clerk)	(Sig. of Librarian)

नोट Note :

1. पुस्तकालय आवेदन पत्र शुल्क रसीद के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   It is mandatory to produce fee receipt along with library application form for making library ID Card.
2. पुस्तकालय उपयोग के लिए छात्र को अपना परिचय पत्र साथ लाना अनिवार्य है। बिना वैध परिचय पत्र के पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित है।
   It is mandatory to bring ID Card for using the library facilities. No student will be allowed in the library without valid identity card.

चमन लाल महाविद्यालय, लण्ढौरा, हरिद्वार-247664

पुस्तकालय उपयोगार्थ नियमावली

1. प्रत्येक छात्र/छात्रा को पुस्तकालय से पुस्तकें समय-सारणी के अनुसार 15 दिन के लिए आवंटित होंगी, अगर कोई छात्र/छात्रा निर्धारित अवधि तक पुस्तकालय में पुस्तकें वापस नहीं करता / करती है तो उसे प्रति दिन 50 रूपया विलम्ब शुल्क के रूप में अर्थदण्ड देना होगा।
2. पुस्तकें निम्नांकित संख्या के अनुसार आवंटित की जायेगी :

   अ) कला / विज्ञान स्नातक के छात्र / छात्रा को दो पुस्तकें तथा वाणिज्य स्नातक को दो पुस्तकें।

   ब) कला / विज्ञान / वाणिज्य स्नातकोत्तर के छात्र / छात्रा को दो पुस्तकें।

   स) व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र / छात्राओं को दो पुस्तकें।
3. छात्र / छात्राओं को पाठ्य सामग्री का आवंटन निर्देशित समय सारणी के अनुसार ही किया जायेगा।
4. संदर्भ सामग्री तथा अध्ययन कक्ष सामग्री का उपयोग पुस्तकालय के अन्दर ही किया जायेगा, पुस्तकालय से बाहर के लिए इसे आवंटित नहीं किया जायेगा।
5. आवंटित पुस्तकालय सामग्री को अन्य पाठकों की आवश्यकता के अनुसार कभी भी वापस पुस्तकालय में जमा करने को कहा जा सकता है। महाविद्यालय परीक्षाओं से पूर्व पुस्तकालय की समस्त सामग्री वापस करना अनिवार्य होगा।
6. आवंटित पुस्तकों की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व प्राप्तकर्ता छात्र का होगा। अत: आवंटित हो रही पुस्तकों की पूर्ण जाँच कर छात्र सन्तुष्ट हो लें। पुस्तकें खो जाने पर या फट जाने पर नवीन संस्करण या पुस्तक का वर्तमान मूल्य+100/- रूपये (सरचार्ज+डाक खर्च) की धनराशि पुस्तकालय में जमा करना होगा।
7. पुस्तकालय नियमों / व्यवस्था के विरूद्ध आचरण करने पर पुस्तकालय अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह पाठक को पुस्तकालय उपयोग से वंचित कर दे या महाविद्यालय प्रशासन को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लिखा जायेगा।
8. अदेय प्रमाण-पत्र के इच्छुक छात्र / छात्राओं को आवेदन पत्र पुस्तकालय में जमा करने के दूसरे दिन अदेय प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।
9. जिन छात्र / छात्राओं को विभागीय पुस्तकालय से पुस्तकें आवंटित की जाती हैं उन्हें नियम-1 के अनुसार पुस्तकें आवंटित करना सम्भव नहीं होगा।
10. व्यक्तिगत किताबें अध्ययन हेतु पुस्तकालय में लाना वर्जित है।
11. महाविद्यालय में प्रवेश पाने के बाद एक माह के अन्दर सम्बन्धित छात्र / छात्रा अपने दो पुस्तकालय-पत्रक प्राप्त करें। उसके उपरान्त पुस्तकालय-पत्रक निर्गत नहीं किये जायेंगे।
12. प्रत्येक विद्यार्थी को एक समय में पुस्तकालय द्वारा दो पुस्तकालय-पत्रक निर्गत किये जाते हैं। पुस्तकालय-पत्रक खो जाने की दशा में लिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के दो सप्ताह बाद नये पत्रक 25/- रूपये प्रति पत्रक तथा 100/- रूपये अर्थदण्ड के रूप में जमा करवाने के बाद ही निर्गत किये जायेंगे। यदि खोये गये पत्रक पर पुस्तक निर्गत करवायी गयी होगी तो उसका दायित्व सम्बन्धित छात्र / छात्रा का ही होगा।
13. किसी अन्य छात्र / छात्रा को पुस्तकालय-पत्रक पर किसी दूसरे छात्र / छात्रा को पुस्तक निर्गत नहीं की जायेगी, यदि कोई छात्र / छात्रा ऐसा करता पाया गया तो दोनों के पुस्तक-पत्रक निरस्त कर दिये जायेंगे।

    मैंने पुस्तकालय सम्बन्धी नियमावली को पूर्णतया पढ़ और समझ लिया है, इसके अतिरिक्त पुस्तकालय व्यवस्थार्थ समय-समय पर निर्गत अन्य सूचनाओं/निर्देशों का पूर्ण सत्यनिष्ठा से पालन करूँगा / करूँगी।

    अत: पुस्तकालय उपयोगार्थ मुझे अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

अभिभावक के हस्ताक्षर .....

.

स्थायी पता .....

.

.....

पता एवं फोन नं० .....

छात्र / छात्रा के हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....